आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत चिकित्सालयों के ऐम्पेनलमेन्ट हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 14/9/2018 का कार्यवाही विवरण

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत चिकित्सालयों के ऐम्पेनलमेन्ट हेतु गठित समिति की बैठक को दिनांक 14/9/2018 को श्री भास्कर लक्षकार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये–

1. डॉ.के.के.ठस्सू, संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.
2. डॉ.उपेन्द्र दुबे, संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.
3. डॉ.पंकज शुक्ला, संयुक्त संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र
4. डॉ.एल.बी.अस्थाना, उप संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.
5. डॉ.योगेन्द्र वाडिवा, नोडल अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र.

बैठक में सलाहकार आयुष्मान भारत श्री गौरव शर्मा द्वारा बताया गया कि चिकित्सालयों के ऐम्पेनलमेन्ट के संबंध में भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार शासकीय मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पतालों एवं सामुंदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को डीम्ड ऐम्पेनल्ड माना गया है।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, आयुक्त स्वास्थ्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत के साथ चर्चा के दौरान यह निर्णय हुआ था कि चिकित्सालयों के ऐम्पेनलमेन्ट हेतु चिकित्सालय आयुष्मान भारत की वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन देंगे एवं–

- शासकीय चिकित्सालयों को डीम्ड ऐम्पेनल्ड माना जायेगा।
- राज्य बीमारी सहायता निधि एवं म.प्र. शासन के शासकीय सेवकों के लिये मान्य अधिकृत चिकित्सालय जो एन.ए.बी.एच. एन्ट्री लेवल प्रमाण पत्र रखते हैं, को चूँकि उनका ऐम्पेनलमेन्ट प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है, अतः राज्य बीमारी सहायता निधि एवं एम. आर.शाखा के उप संचालकों से प्रमाणीकरण के पश्चात उनका भी डीम्ड ऐम्पेनलमेन्ट किया जायेगा, फलस्वरूप इन चिकित्सालयों का पृथक से निरीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है।
- निजी चिकित्सालयों के आवेदनों का परीक्षण करने के पश्चात इनमें से जो चिकित्सालय एन.ए.बी.एच. एन्ट्री लेवल प्रमाण पत्र रखते हैं, परंतु वे राज्य बीमारी सहायता निधि एवं एम.आर.शाखा में उपचार हेतु मान्य नहीं है को शार्ट लिस्ट किया जायेगा तथा इन चिकित्सालयों का निरीक्षण संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की टीम से कराया जायेगा एवं चिकित्सालय में संबंधी विशेषज्ञता के विशेषज्ञ, स्टाफ, उपकरण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के सत्यापन के पश्चात् कमेटी इनके ऐम्पेनलमेन्ट के संबंध में निर्णय लेगी।

दिनांक 17/9/2018 को सलाहकार आयुष्मान भारत द्वारा ईमेल द्वारा सूचित किया गया था कि नेशनल हेल्थ ऐजेन्सी के चिकित्सालयों के ऐम्पेनलमेन्ट संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार आयुष्मान भारत के सलाहकारों द्वारा शासकीय चिकित्सालयों के ऐम्पेनलमेन्ट के संबंध में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया गया एवं चूँकि शासकीय चिकित्सालय डीम्ड ऐम्पेनल्ड हैं अतः उन्हें ऐम्पनलमेन्ट के योग्य पाया गया।

आयुष्मान भारत के सलाहकार श्री गौरव शर्मा द्वारा बताया गया कि 48 जिला अस्पताल 7 मेडिकल कॉलेज़ चिकित्सालय, 6 सिविल अस्पताल तथा 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आवेदन पूर्ण पाये गये एवं उन्हें ऐम्पेनलमेन्ट के योग्य पाया गया । इनके अतिरिक्त 32 निजी चिकित्सालयों के आवेदन भी सही पाये गये एवं ये चिकित्सालय एन.ए. बी.एच एन्ट्री लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त हैं, अतः ऐम्पेनलमेन्ट के योग्य पाये गये।

ऐम्पेनलमेन्ट कमेटी के द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया गया। समिति के द्वारा –

- 48 जिला अस्पताल एवं लेडी ऐल्गिन चिकित्सालय, 7 मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, 5 सिविल अस्पताल तथा 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सूची संलग्न) के आवेदनों का परीक्षण किया गया एवं इन चिकित्सालयों को ऐम्पेनलमेन्ट योग्य पाया गया।
- समिति के द्वारा 32 निजी चिकित्सालयों के आवेदनों का परीक्षण किया गया एवं चूँकि ये चिकित्सालय एन.ए.बी.एच एन्ट्री लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त चिकित्सालय हैं एवं इनका ऐम्पेनलमेन्ट राज्य बीमारी सहायता निधि एवं एम.आर शाखा द्वारा उपचार हेतु मान्य किया गया है, जिसका प्रमाणीकरण उप संचालक राज्य बीमारी सहायता निधि एवं उप संचालक एम.आर.शाखा द्वारा किया गया है, अतः परीक्षण उपरांत इन चिकित्सालयों को भी समिति के द्वारा ऐम्पेनलमेन्ट हेतु योग्य पाया गया।(सूची संलग्न है)
- इसके अतिरिक्त समिति के समक्ष 24 निजी चिकित्सालयों की सूची भी सलाहकार आयुष्मान भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।(सूची संलग्न है) इन निजी चिकित्सालयों द्वारा अपने आवेदनों में एन.ए.बी.एच ऐन्ट्री लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त होना बताया गया है । ये चिकित्सालय वर्तमान में एस.आई.एफ अथवा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये अधिकृत नहीं हैं। इनमें से 4 चिकित्सालय 1.मार्बल सिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर जबलपुर, 2.प्रकाश आई केयर एण्ड लेजर सेन्टर, भोपाल, 3. महाकौशल हॉस्पिटल, जबलपुर एवं 4. अनंत श्री हॉस्पिटल, भोपाल की निरीक्षण रिपोर्ट जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से प्राप्त हो चुकी है। समिति द्वारा परीक्षण के बाद इन 4 चिकित्सालयों को ऐम्पेनलमेन्ट के योग्य पाया गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि शेष चिकित्सालयों का निरीक्षण संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दल द्वारा करवाया जाये कि वे एन.ए.बी.एच .एन्ट्री लेवल प्रमाण पत्र रखते हैं एवं इनमें चिकित्सालय द्वारा चाही गई आयुष्मान भारत प्रोसीजर्स हेतु आवश्यक विशेषज्ञ' /पी.जी.एम.ओ,

स्टाफ, उपकरण व इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हैं। इन चिकित्सालयों की निरीक्षण रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये ताकि इन्हें आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ऐम्पेनल करने की कार्यवाही की जा सके।

डॉ.उपेन्द्र दुबे संयुक्त संचालक संचालनालय स्वा.से.म.प्र.	डॉ.के.के.ठस्सू संचालक स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.	भास्कर लक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत
डॉ.पंकज शुक्ला संयुक्त संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.	डॉ.योगेन्द्र वाडिवा नोडल अधिकारी चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.	डॉ.एल.बी.अस्थाना उप संचालक संचालनालय स्वा.से.म.प्र.